न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 10/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/44

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
धर्माराम पुत्र देवाराम जाति गुर्जर निवासी गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली		1. लिखमाराम पुत्र डायाराम जाति गुर्जर निवासी गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली 2. ग्राम पंचायत गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण औझा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/01/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत गुड़ाबींजा द्वारा मिसल संख्या 02/1984—85 दिनांक 01.10.1986 की पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में जैर आराजी को पुश्तैनी बताया है परन्तु इसका पट्टा केवलमात्र अप्रार्थी के पक्ष में बना दिया। पंचायत ने बिना सार्वजनिक नोटिस जारी किये व पैतृक सम्पति का बंटवाडा हुए बगैर जैर आराजी का अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। इसलिये विधिविरूद्ध जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसमें पंचायती राज नियमों में विहित सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाया गया है। ग्राम पंचायत ने जैर आराजी का नक्शा बनाकर तीन पंचों द्वारा नियमानुसार मौका निरीक्षण करवाये जाने के पश्चात् कब्जे सत्यापन के लिये गये बयानों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिसम्मत है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत गुड़ाबींजा द्वारा मिसल संख्या 02/1984—85 दिनांक 01.10.1986

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

की पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है, जिसका बंटवाड़ा हुये बगैर ही अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस उज्र का खण्डन करते हुये कथन किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की धारा 97 के तहत केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का परीक्षण किया जाना है, न की बंटवाड़े के सम्बन्ध में हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। इस सम्बन्ध में राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, जो अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों का समर्थन करती है, इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का यह उज्र खारिज किया जाता है।

जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961, के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों के अनुरूप है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जा सुदा मकान का पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें जैर आराजी की स्थिति अंकित चतुर्दशी से स्पष्ट होती है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 23.07.1984, में तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये तथा जिन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जावेगा, उन्हें भी नामित किया गया। आवेदक द्वारा नियम 256(2) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे शुल्क जरिये रसीद संख्या 100 दिनांक 03.07.1984 के द्वारा जमा करवायी गयी। इसके पश्चात तीन पंचों ने नियम 258 के तहत "क से ड" के बिन्दुओं नियमानुसार मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर पंचों के हस्ताक्षर तथा दिनांक का भी अंकन है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य है। हस्तगत प्रकरण में कब्जा सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाह के बयान लिये गये हैं। साथ ही प्रकरण में नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में आपत्ति इश्तिहार भी जारी किया गया, जिसे सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट एवं गवाहों के हस्ताक्षर भी अंकित है। आदेशिका दिनांक 01.10.1986 के द्वारा मिसल में कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने का निर्णय पारित किया तथा अप्रार्थी द्वारा पट्टे की निर्धारित शुल्क जरिये रसीद संख्या 65 दिनांक 14.10.1986 के द्वारा जमा करवाये गये। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पट्टा आवंटन के नियमों की पूर्णत पालना की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी जैर निगरानी पट्टा विधि सम्मत है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत गुड़ाबींजा द्वारा मिसल संख्या 02/1984–85 दिनांक 01.10.1986, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 01.10.1986 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 21.10.1986 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)